

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया जाएगा]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 16/2025--केंद्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2025

का.आ.(अ).--- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का 7) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 1 अक्टूबर, 2025 को ऐसी तिथि के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 121 के खंड (ii) और (iii), धारा 122 से धारा 124 और धारा 126 से धारा 134 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[प. सं. CBIC-20001/2/2025-जीएसटी]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव